:ESOLUTION *RE* FREE COMPULSORY PRIMARY EDUCATION TO DEAF AND DUMB CHILDREN IN UNION TERRITORIES AND CENTRES FOR TRAINING AND RE-HABILITATION OF ADULT DEAF AND DUMB PERSONS

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM Uttar Pradesh): Sir, I beg to move ie following resolution: —

"This House is of opinion that Government should take immediate steps to provide free and compulsory education in the primary stage to all deaf and dumb children throughout the Union territories and to start centres for the training and rehabilitation of the adult deaf and dumb persons by providing therein facilities for technical trailing in various crafts or higher education according to their capacity."

श्रीमन्, हर सुसंस्कृत समाज के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि उसे शिक्षा, रोजगार और संरक्षण के लिये पूरी पूरी सुविधायें प्राप्त हों । हमारे जैसे एक उन्नतशील देश में जो कि निरंतर विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है इन्हीं तीन सुविधाओं को जुटाने के लिये हमारी सारी योजनायें बन रही हैं । साधारण व्यक्तियों की तरह ये गूंगे और बहरें तथा अपाहिज लोग भी अपने जीवन-निर्वाह के लिये उचित शिक्षा और रोजगार की सुविधायें चाहते हैं । यह बात सभी को भली प्रकार विदित है कि सब अंगों से पूरी तरह से परिपूर्ण व्यक्ति भी और सारी शक्तियों का पूरी तरह से वरदान पाये हुआ व्यक्ति भी जब बेकारी और बिना रोजी या बिना शिक्षा के रहने पर विवश किया जाता है तब उसका जीवन दूभर हो जाता है । अनेकों बार इस सदन में बेकारी की समस्या पर विचार प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि आज देश के दो ही बड़े दुश्मन हैं, अज्ञानता और बेकारी । बेकारी जिन व्यक्तियों पर भी प्रभाव डालती है उनकी हर तरह से एक प्रकार से कमर सी तोड़ देती है परन्तु वह व्यक्ति जो कि किसी प्रकार से अंग-भंग है या किसी शारीरिक शक्ति से हीन है उसके लिये तो बेकारी एक ऐसा बड़ा अभिशाप होता है जिससे कि वह उभर ही नहीं पाता है ।

श्रीमन्, यह बात स्पष्ट है कि आज देश में लाखों लोग इस अवस्था में पड़े हुए हैं कि वे बिना बाहरी सहायता के किसी प्रकार भी उठ नहीं सकते हैं । भगवान न करे, किसी परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति हो जाये जो कि गूंगा या बहरा हो या किसी और कमी के कारण अपाहिज हो तो वह एक व्यक्ति ही सारे परिवार की सुख व शान्ति अपहृत कर लेता है और जीवनपर्यन्त के लिये अपहृत कर लेता है । और विशेष रूप से गूंगे और बहरे जीवन पर्यन्त के लिये पूरे परिवार पर बोझ बन जाते हैं ।

श्रीमन्, आज देश में सैम्पल सरवे के आधार पर निश्चित किया जा चुका है कि लगभग १६ लाख गूंगे और बहरे इस देश में हैं । किन्तु यह खेद का विषय है, हम सबके लिये ही नहीं, केवल एजुकेशन मंत्रालय के लिये नहीं वरन् हम सभी देशवासियों के लिये कि केवल ३०,००० ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हम कर पाये हैं । केवल ३०,००० बच्चे ही आज स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और स्कूलों की जो शिक्षा है वह ऐसी शिक्षा है जो इन बच्चों को केवल लिखने पढ़ने के लायक ज्ञान दिला पाती है और थोड़ी लिप रीडिंग और साइन पढ़ने योग्य बना पाती है और उसके बाद आगे चल कर कोई हायर या उन्नत व उच्च शिक्षा की कोई भी व्यवस्था हमारे देश में अभी तक ऐसे गूंगे बहरे बच्चों के लिये नहीं की जा सकी । श्रीमन्, इस बीसवीं सदी में भी कौन यह अनुमान लगायेगा कि आज इस बड़े अविकसित देश में हम लोगों ने अभी तक, बावजूद इन बारह वर्षों की आजादी के, कोई भी व्यवस्था

[श्रीमती सावित्री निगम]

नहीं की कि ये गूंगे बच्चे जो थोड़ा पढ़ लिखकर सीख जायें वे शिक्षा प्राप्त करके अच्छी अच्छी नौकरियों को प्राप्त कर सकें या उनको ऐसी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाये जिससे वे अपना जीवन यापन करने योग्य बन सकें । लेकिन श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र शिक्षा मंत्रालय इस ओर—जैसा कि अभी अभी ध्यान देना शुरू कर दिया है—आगे चलकर भी ध्यान देगा और शीघ्र ही गूंगे बहरे बच्चों और तमाम देश के अपाहिजों के जीवन में एक रोशनी की किरण आएगी । आज का दिन भी इन गूंगे बहरे और अपाहिज व्यक्तियों के लिये एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है जब कि संसद् का यह माननीय सदन आज गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार करने के लिये आज तैयार हुआ है ।

श्रीमन्, संसार के जितने भी बढ़े हुए देश हैं, जितने भी संभ्रान्त या सुसंस्कृत देश हैं, उन सभी में गूंगे बहरों की सुरक्षा, उनके पुनर्वास और उनके शिक्षण की व्यवस्था कानूनी रूप से भी की गई है । अभी थोड़े दिन पूर्व मैंने गूंगे बहरों के विषय में क्या क्या किन किन देशों में किया गया हैउसका विशेष अध्ययन किया और उसमें मुझे मालूम हुआ कि सन् १९४४ में अंडर दी एजुकेशन एक्ट ऑफ १९४४ इंगलैंड में एक कानून पास किया गया और उसकी धाराएं इस प्रकार हैं :

"Deaf children must attend school from 5 to 16 of age. They are accepted for admission from the age of 2 years if parents so wish."

"(c) It is the duty of the parents to secure efficient and ful-time education for children of compulsory school age. Provision is made for children in schools established in various parts of the country. Some of these are under direct control of education authorities, others are managed by private Boards of Governors but all are subject to instruction by the Ministry of Education. For suitable children, advantage is taken of facilities offered by the local technical, **art** and grammar schools."

श्रीमन्, एक इंगलैंड में ही नहीं बल्कि अन्य यूरोप के तमाम देशों में इस तरह के कानून पास कर दिये गये हैं कि यही नहीं कि गूंगे बहरे बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य बना दी जाय बल्कि गूंगे बच्चों को किसी भी स्कूल में जहां वे एडमिशन पाना चाहते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कानूनी अड़चन के, यदि वह आर्ट या ट्रेनिंग उनके लिये सूटेबल होती है, उनमें प्रवेश पाने की सुविधा है । श्रीमन्, इसी प्रकार इटली में भी १९५८ में एक नया कानून पास किया गया । मैं उसका केवल आर्टिकल न० २ पढ़ती हूं :—

"Administrations and enterprises listed in article I above must employ without special formalities three per cent, of the deaf mute wage-earners."

इस प्रकार ३ से लेकर ८ परसेंट तक विभिन्न देशों में गूंगे बहरे नवयुवकों को विभिन्न उद्योगों में लगाये जाने के लिय एक अनिवार्य कानून पास कर दिया गया है । श्रीमन्, मैं यह जानती हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय संभवत: यह कहें कि हमारे यहां अभी तो सारे देश में जो बच्चे बोलने वाले हैं, जो बच्चे स्वस्थ हैं, हम उन्हीं की शिक्षा को अनिवार्य नहीं बना सके, इसलिये हम गूंगे बहरों की शिक्षा के विषय में कैसे कह सकते हैं, उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाने की बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि जब आप स्वस्थ बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की अच्छी कोशिश न भी कर पाएं या न करते हों तो आप समाज का उतना बड़ा नुक्सान नहीं करते, उतना बड़ा सामाजिक विकास में रुकावट नहीं डालते जितनी रुकावट कि आप इस समय इस बात

से डालते हैं कि गूंगे बहरों की शिक्षा का और प्राइमरी शिक्षा का बंदोबस्त नहीं कर पाते । श्रीमन्, आपको भी यह विदित है और यह सदन भी इस बात से भलीभांति विज्ञ है कि यदि छोटी उम्र से--पांच से लेकर आठ वर्ष या दो वर्षसे लेकर आठ वर्ष कीउम्र तक--उनको पढ़ना न सिखाया जाये तो फिर आगे चलकर जीवन भर वे शिक्षा पाने योग्य नहीं रह जाते क्योंकि बचपन में जो उनको साइन लैंगुएज सिखायी जाती है उस समय उनके मसल्स इस काबिल होते है कि वे चल सकें और इशारे द्वारा बोलना सीख सकें । इसलिये जो बच्चे आठ वर्ष की उम्र तक किसी स्कूल में प्रवेश नही पा सकते वे आगे चल कर, चाहे उनके ऊपर कितना ही रुपया खर्च करके पढ़ाने का प्रयत्न किया जाये, चाहे उम्दा से उम्दा एक्सपर्ट उनको सिखायें पढ़ायें लेकिन कुदरती तौर पर वह पढ़ने में और सीखने में असमर्थ हो जाता है । इसलिये प्राइमरी शिक्षा यदि किसी के लिये सबसे अधिक अनिवार्य है तो वह गूंगे बहरे और किसी प्रकार न सुनने के कारण अपाहिज बनाये हुए बच्चों के लिये सबसे अधिक अनिवार्य है ।

श्रीमन्, इसी प्रकार मैं अभी बता रही थी कि उन कानूनों के द्वारा सभी विकास-शील देशों में गूंगे बहरों के लिये केवल शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं की गई, उनको उच्चतर शिक्षा देने की व्यवस्था ही नहीं की गयी बल्कि उनके लिये रोजगार की भी पूरी पूरी व्यवस्था की गई है । रोजगार के अतिरिक्त भी जितनी सुविधाएं हो सकती है वे कानून द्वारा उन देशों में दिलवाई गई है । अब मैं आपको फिनलैंड के विषय में दो लाइन पढ़ कर बताऊंगी ।

"Deaf get disablement allowance like other persons. They are free from income-tax and travel at reduced fares or completely free in buses, trams of the biggest towns as Helsinki, Turku, Tampere and other towns. Everywhere the deaf can go to the cinema paying half ticket."

इसी प्रकार से नाना प्रकार की सुविधाएं कम आगे बढ़े हुए देशों में भी ऐसे लोगों को दी गई है । एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जितना भी यह मूक बधिर समाज है इसमे सरकार यदि अपने कर्त्तव्यों को पूरी तरह निभाये, यदि समाज पूरी तौर पर उनके प्रति अपने कर्त्तव्यों को निभाये तो ये मूक बधिर जो आज देश के ऊपर बोझ बने हुऐ हैं ये थोड़े ही दिनों में देश के लिये एक बहुत बड़ा एसेट, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकते हैं । मेरा अपना जो दस, बारह साल का इन मूक बधिरों के साथ सम्पर्क है और उनकी सेवा का जो मुझे अवसर मिला है उसके आधार पर और साथ ही साथ अनेक विशेषज्ञों की जो खोज की हुई हैं और एक निर्धारित किया हुआ, निर्णय किया हुआ जो एक विषय है उसके अनुसार मैं बता सकती हूं कि उन्होंने यह बात प्रमाणित कर दी है तथ्यों के आधार पर, कि मूक बधिर लोग किन्हीं किन्हीं मामलों में, किन्हीं किन्हीं उद्योगों के विषय में बोलने वाले लोगों से अधिक चतुर, कुशल होते हैं और उनका काम अधिक सुनियोजित और सफल होता है । कई बार हम लोगों ने यह भी देखा कि जब इन मूक बधिर व्यक्तियों को किसी नौकरी पर रखा जाता है और उनके किसी भी कार्य करने का असर देखा जाता है तो मालूम होता है कि ये लोग बोलने चालने वाले व्यक्तियों से अधिक अच्छा काम करते हैं । मैं निजी अनुभव के आधार पर बताती हूं कि यहां म्यूनिसिपैलिटी ने हम लोगों के प्रयास से दस, ग्यारह बच्चों को विभिन्न कामों में रखा और आज भी तीन, चार वर्ष के बाद जब कभी हमने उनके काम की रिपोर्ट मांगी है तो यही नहीं कि उनके काम को केवल संतोषजनक कहा गया हो बल्कि यह कहा गया है कि इनका काम बहुत ही अधिक उपयोगी, बहुत ही अधिक संतोषजनक है और इनके काम का आउटपुट बोलने वालों से भी अधिक है ।

DR. W. S. BARLINGAY (BombayV. Because they cannot waste their energy in talking.

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, भारत के मूक बधिरों को भी अन्य देशों के मूक बधिरों की तरह ही सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें तभी यह उन्नति करके सुखमय जीवन बिता सकते हैं । इनके लिये भी जीवन बीमा, उच्चतर शिक्षा और रोजगार के संरक्षण का प्रबन्ध होना चाहिये । यदि हम मूक बधिरों के लिए भी अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की तरह ही सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान सुरक्षित कर दें तो हमारे देश के मूक बधिर भी अधिक उत्साहित और आशावादी हो कर शीघ्र ही प्रगति करके सही माने में कामयाब मनुष्य बन सकते हैं । मूक बधिर निम्नोक्त धन्धों में कुशलता पूर्वक कार्य चला सकते हैं— दर्जी, पेंटर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, बढ़ई, लोहार, मेकेनिकल इंजीनियर, टाईपिस्ट, क्लर्क, ड्राफ्ट्समैन, कपड़ा बुनना, कुक, आडोटर, मिस्त्री राज, इलैक्ट्रिकल इंजीनियर, इत्यादि, इत्यादि । आल इंडिया फैडरेशन ने उन सभी उद्योगों में उन बच्चों को कार्य में लगाया जिनका एटिट्यूड इस ओर था । श्रीमन्, इसका नतीजा यह हुआ कि मूक बधिर उस समय तक देश के उपर बोझा नहीं बन सकते हैं जब तक उनको शिक्षा का अवसर न दिया जाये ।

श्रीमन्, इस विषय में आल इंडिया फैडरेशन द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सम्मुख करना चाहूंगी । सिफारिशें हर साल होती रहती हैं और बार बार विभिन्न कांफ्रेंसेज में सिफारिशें की गई हैं । मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन सिफारिशों के ऊपर हमें बड़े बड़े आश्वासन मिल रहे हैं । लेकिन श्रीमन्, यह खेद का विषय है कि बावजूद इन आश्वासनों के हमें वह प्रगति दिखाई नहीं देती है जिसकी कि हमें आशा थी ।

श्रीमन्, पिछले कुछ सालों में आल इंडिया फेडरेशन ने पहली और दूसरी कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किये उनका संक्षिप्त विवरण आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहती हूं । मैं इसके साथ ही साथ सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जो प्रस्ताव चार वर्ष पूर्व प्रथम कांग्रेस में पास किये गये थे, दुर्भाग्यवश दूसरी कांग्रेस में भी उन्हें विवश होकर दोहराना पड़ा । इसका कारण यह था कि इन प्रस्तावों के पास होने के बावजूद और आश्वासन मिलने के बाद भी इसमें उस तरह की प्रगति नहीं हुई जैसी कि आवश्यकता थी । श्रीमन्, भारतवर्ष के सभी मूक बधिरों की जो संस्था है उसने एकमत होकर यह सिफारिशें की हैं :

Provision should be made for compulsory education for all children between the ages of 5 to 16 years.

At least one school for the deaf should be opened in every big city where provision for board and lodging should be made.

Clinics centres for parental guidance should be opened in every big city and these centres should be attached to the schools for the deaf wherever possible.

Nursery classes for deaf children should be opened and attached to the main schools in big cities.

Schools for imparting secondary education to the deaf should be established on zonal basis and one such model school should be started immediately for experimentation.

Uniform syllabus fixing the level of attainment should be prepared by an expert committee for admission to secondary schools for the deaf.

Scholarships should be extended to deserving students for secondary education in the country or abroad.

(8)Intensive vocational training should be started from VI standard for all the deaf students who are not taking up secondary education.

(9) Only those inspectors who are specialised in the education of the deaf should be appointed for visiting the schools for the deaf.

(10) One teachers' training centre, recognised by Government, should be opened in each zonal area.

(11) Arrangements should be made in the training centres for refresher courses for teachers of the deaf with a minimum of 5 years' experience. These courses may be of three months' duration.

(12) It is recommended that one sheltered workshop should be opened in every State separately for both s^xes of the deaf.

(13) At least one vocational gut-dance and employment centre should be established in each State.

(14) The Government should grant licences for the import of group and individual hearing aids. These should be supplied to the schools for the deaf at subsidised rates free of duty.

(15) Facilities for audiometric tests should be arranged in special centres where all the schools for the deaf of that area may avail of these facilities.

(16) In every State there should be an employment exchange. A separate officer should be attached to every Exchange for getting the trained deaf employed in the different industrial concerns.

(17) Particular attention should be focussed upon the social rehabilitation problems dealing with deaf girls and women by arranging vocational training - *cum* - production centres, which would prove a means to make them self-supporting.

(18) Students leaving a vocational training institution should be helped financially by the State and Central Governments to start their own vocations in which they are specialised.

(19) Every school and training centre for the deaf should have sufficient arrangements of materials and extensive playfields of indoor and outdoor iames for the students thereof and trained instructors should be appointed for the said purpose.

(20) Each and every institution of the deaf should take special care of the health and physical development of the students.

(21) Inter-school tournaments *oi* the d:af should be organised every year and the Government should assist in fulfilling this purpose.

(22) Homes and hostels for the adult deaf and women separately should be opened in all big cities, such hostels being opened also for the old and infirm deaf people.

(23) The Government should be requested to withdraw the restriction on import of such apparatus as audiometers, group and individual hearing aids, until they are being manufactured on a large scale in India.

(24) We feel that up to now little has be;n done for the technical training of deaf girls. Therefore we recommend that provisions may be made for the establishment of schools of Home Science where they could be trained in those crafts which are essential to them after they have completed their classes in the elementary school.

(25) Although we do fully agree that the Government is keen to help the deaf in India through its various departments and agencies and have been spending generously for the im provement of the general conditions of the handicapped, it has been com plained and usually noted that the majority of the deaf are not getting any real benefit, which clearly indi cates that the policy is defective. That is all due to the fact that the deaf are not taken into confidence by the Gov ernment. The real problem of the deaf has not yet been understood and authorities mix up the various pro blems of all the different sections of the handicapped, i.e., physically, soci-

[1] ally and mentally handicapped. They

[श्रीमती सावित्री निगम]

commit a mistake in finding an impossible single way to benefit all. It is necessary therefore that different bodies should handle different kinds of work separately. For us an Advisory Council of the Deaf-mutes is the real need of the time. Such a Council must have at least 50 per cent of deaf representatives to win the confidence of the deaf as well and enough powers should be given to the Council to function properly.

श्रीमन्, इस संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं उनके विषय में समय समय पर और भिन्न भिन्न स्थानों में सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही हूं। श्रीमन्, यह बात सच है कि शिक्षा मंत्रालय यह बात अनुभव करता है कि गूंगे और बहरों के संबंध में बहुत कम काम हुआ है और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। श्रीमन्, एस्टीमेट कमेटी ने भी अपनी सन् १९५७–५८ की रिपोर्ट में जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी कि जहां तक मूक बधिरों के पुनर्वास का प्रश्न है, उसे तुरन्त लिया जाना चाहिये और उसमें जल्दी प्रगति लाई जानी चाहिये। मैंने अभी कहा कि गूंगे बहरों की शिक्षा और पुनर्वास का जो काम दिखलाई देता है, उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण यह है कि साइंटिफिक तरीके से यह पता नहीं लगाया गया है कि इस प्राब्लम का क्या नेचर और कितना बड़ा प्राब्लम यह है ? इस तरह के बच्चों की कितनी ऐज है, इन सब चीजों की पूरी सूचना हमारे शिक्षा मंत्रालय को नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय का ध्यान हम समय समय पर आकर्षित कराते रहते हैं लेकिन उसे भी इस संबंध में पूरा डाटा कलैक्ट करना चाहिये। जो संस्थाएं गूंगे बहरों की सेवा में लगी हुई हैं उनके अतिरिक्त अन्य सरकारी सूत्रों द्वारा भी यह डाटा कलैक्ट किया जाना चहिये। असल में यह जो प्राब्लम है उसका क्या साइज है, क्या नेचर है ? वैसे अनुमानतः सैम्पुल सर्वे द्वारा जो भी हम लोगों के पास अभी मैटिरियल है उसके आधार पर काम नहीं किया गया है, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोगों का एप्रोच साइंटिफिक हो। हम लोगों को धीरे धीरे यह मालूम हो कि कितने लोग किस एज के हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा अज्ञान, ऊपर से लेकर नीचे तक गूंगे बहरों की शिक्षा के विषय में हमारे देश में फैला हुआ है। गूंगे बहरों की शिक्षा एक विचित्र तरीके की होती है, एक अलग तरीके की होती है। यह एक टैक्निकल सब्जैक्ट है, एक टैक्निकल विषय है। जो लोग इस विषय का अध्ययन करें और अध्ययन करने में काफी समय और काफी इनर्जी लगायें, वही इनकी समस्या को समझ सकते हैं और वही इनकी शिक्षा को और इनके पुनर्वास के कामों को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि जितने भी अधिकारी गूंगे बहरों की संस्थाओं से संबंधित हैं, चाहे वे कितने ऊंचे पदों पर आसीन हों, पहले उनको चाहिये कि वे थोड़ा सा रेफ्रेशर कोर्स लेकर इनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करें। मैं कई बार सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुकी हूं कि लाखों रुपया बजट किया गया और वह साल बसाल लेप्स होता चला गया। यह एक साल की बात नहीं है। वह रुपया कभी खर्च नहीं हो पाता है। जो ऐडवाइजरी कौंसिल फॉर दि एजुकेशन आफ दि हैंडिकैप्ड है, उसमें हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं, सिफारिशें करते हैं, लेकिन उन सिफारिशों का तब तक कोई महत्व न होगा जब तक वे इम्प्लीमेंट न की जायें। उन के इम्प्लीमेंट किये जाने में क्या दिक्कतें हैं, वे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की जातीं, मैं विनम्रतापूर्वक इस बात को बताना चाहती हूं कि गूंगे बहरों की संस्थाएं, हैंडीकैप्ड की संस्थाएं, जो कि आज वालंट्री तरीके से चलाई जा रही हैं, उनको जब तक और संस्थाओं के लेविल पर ट्रीट किया जायेगा, तब तक गूंगे बहरों की शिक्षा या गूंगे बहरों के पुनर्वास का प्रश्न सुलझाया

नहीं जा सकता । इन संस्थाओं को विशेष सहूलियतें देनी होंगी । तमाम तरीके के उद्योग धन्धों को मदद करने के लिए जो नियम बना लिये जाते हैं, वही नियम इन गूंगे, बहरे और अपाहिजों की संस्थाओं को ग्रांट देने के लिए बना लिये गये हैं । यही कारण है कि जो संस्थाएं वालंट्री रूप से चलाई जा रही हैं, न वही वह ग्रांट ले पाती हैं और न शिक्षा मंत्रालय स्वयं ही उन ग्रांट्स को अपने आप ही, अपने सूत्रों के द्वारा ही खर्च कर पाता है । जहां तक मेरा अनुमान है शिक्षा मंत्री के हृदय में भी वही सहानुभूति है जो मेरे हृदय में है । लेकिन बावजूद उनकी सहानुभूति के, इस दिशा में जहां तक तरक्की का प्रश्न है, जहां तक संस्थाओं के आगे बढ़ने का प्रश्न है, हम लोग जहां पर पिछले कई वर्षों पहले थे, वहीं पर आज भी मौजूद हैं ।

श्रीमन्, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोला गया है । मैं समझती हूं कि और एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज खोलने की आवश्यकता है जिन के द्वारा इस तरह के गूंगे बहरों को उद्योग धन्धे दिलाये जा सकें । बम्बई में जो एक एम्प्लायमेंट एक्सचज खुला है उसमें ६२ लोगों को उद्योग धन्धे दिलाये गये हैं । आज जब मेरे पास सवेरे उसकी रिपोर्ट आई और मैंने यह देखा कि जिन लोगों को काम दिलाये गये हैं उनमें से किसी को ४० रु० मिलेंगे, किसी को ६० रु० मिलेंगे, किसी को ६२ रु० मिलेंगे, तो उसे देख कर मैं हैरान रह गई । कोई गूंगा बहरा बम्बई जैसे शहर में ६० या ६२ रुपये की नौकरी में कैसे अपना निर्वाह कर सकेगा । मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का बजट अगर लाखों में नहीं तो हजारों में जरूर होगा । क्या अच्छा होता कि यह हजारों रुपया इन संस्थाओं को दे दिया जाता । अन्य देशों में भी यह होता है कि सामाजिक संस्थाओं का एक एक व्यक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रख लिया जाता है और उनको आनरेरियम और ट्रैवलिंग एलाउंस देकर इस बात के लिए मुकर्रर किया जाता है कि वे सरकारी रेप्रेजेंटेटिव के रूप में विभिन्न संस्थाओं में एप्रोच करें और लोगों को एम्प्लायमेंट की सुविधाएं दिलवायें । अब आप देखिये कि हमारे फेडरेशन की एक ब्रांच ने ६८ आदमियों को नौकरी दिलवाई और गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खुलता है वह केवल ६२ आदमियों को नौकरी दिलवाने में समर्थ होता है और उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वे भी बहुत कम हैं । मैं समझती हूं कि गूंगे बहरों को जितनी भी तनख्वाह मिले, उसमें कुछ परसेंटेज मिनिस्ट्री की तरफ से भी सरकारी रूप से दिया जाना चाहिये । आज हो यह रहा है कि जो स्वस्थ लोग हैं उनसे भी कम तनख्वाह उनको दी गई है । जब तक स्वस्थ लोगों के बीच में और गूंगे बहरे लोगों के बीच में यह डिसपैरिटी बनी रहेगी, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है । मैं जानती हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का यह इरादा है कि इस काम में विलम्ब न हो ।

(Time bell rings.)

इस विषय में वैसे बहुत कुछ कहना है । यह विषय इतना गंभीर है और साथ ही साथ इतना उपयोगी है कि इसका सीधा सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों के जीवन से है और उनके जीवन पर यह बहुत जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है, लेकिन मैं एक अंतिम सुझाव देकर इस पर अपने विचार व्यक्त करना समाप्त कर दूंगी और वह यह है कि यदि शिक्षा मंत्रालय आज भी जो उसकी पुरानी नीति रही है, उसको पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाये, तो मेरा विश्वास है कि कम से कम इस नये वर्ष का जो बजट है वह पूरे का पूरा खर्च हो जायेगा और वह तमाम संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर सकेंगी वे शिक्षा मंत्रालय का सहयोग प्राप्त

[श्रीमती सावित्री निगम]

करके आगे बढ़ेंगी । साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि एक माडल सेंटर खोलने की जो स्कीम पिछले चार वर्षों से पोस्टपोन होती आ रही है, वह भी इस वर्ष जरूर खोल दी जाये ।

The question was proposed.

SHRI VIJAY SINGH (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, at the very outset, I would like to congratulate the mover and the co-sponsors of the Resolution. They have done a signal service to all of us by focusing our attention on one of the most important humanitarian aspects of our social life. There can be no two opinions that the condition of the deaf and dumb, or for that matter other disabled human beings, requires our immediate attention and we must do as much as we can for them. But sentiments apart, we have to look at this problem from a practical point of view. What does this Resolution want, what can be done in a practical way and what recommendations should we make? Reference was made by the mover of the resolution just now to the fact that a lot of recommendations are made, but no effect is given to them. This is precisely the reason why I say that while making recommendations we should bear in mind that only those recommendations which are practical should be made. Now, Sir, we are thinking about free and compulsory education of the deaf and dumb. No doubt this is a very important problem, and as the mover of the resolution has brought to our notice, various other countries in the world have done great work in this respect. She quoted the example of England, Finland and other advanced countries of the world. We certainly commend their example, but we must look to our own conditions here and see whether those conditions exist in our country or not, and whether we are in a position to implement those schemes in our country as we find in the countries of the West. When we see the state of education in our country and look at the conditions in the last ten or twelve years, we are at once struck by the fact that when the country achieved independence, we laid it as an objective before ourselves that free and compulsory education should be provided to all within ten years. That target we have not been able to achieve. Recently of course we are making great progress, but we must bear this thing in mind: when we are not able to achieve free and compulsory education even for perfectly normal and healthy children, will it be possible for us to give free and compulsory education for the deaf and dumb, which is a very technical thing and which will require too much of effort and too much of technical skill and expert teachers?

DR. W. S. BARLINGAY: Is it your case that unless one hundred per cent compulsory education is provided for all these people, the deaf and dumb should not be looked into?

SHRI VIJAY SINGH: I think Dr. Barlingay has not been able to understand me. Let me conclude my arguments, and after I have concluded my arguments I think his observations would have been more correct. Incidentally he proves only that we are wasting our energy in speaking. This is a subject in which I think, if he calmly thinks, much good can be done rather than by speaking.

DR. W. S. BARLINGAY: We ought to be both deaf and dumb you mean.

SHRI VIJAY SINGH: I trust that any institution which carries on this work of imparting education to the deaf and dumb and the blind receives liberal aid from the Government. As this provision already exists, I wish that the mover of the resolution had brought before us some such specific recommendations as what changes are to be made in the aid, what other special steps the Government should take to promote this education, etc.

When the Government is already giving liberal aid to all such institutions that are engaged in the task of giving primary education for the deaf and dumb, I think there is vast scope for people to come forward and work in this field, and especially as the mover of the resolution was saying that she was also doing this work, we must all thank her and we must all be grateful that she is doing such a humanitarian work.

Incidentally, Sir, I would like to point out in this connection for the consideration of the Government that there is a lot of exploitation going on in our country of certain human disabilities. Certain deaf and dumb persons or blind persons or persons afflicted with leprosy are made to beg on the street corners or on the stations or other places. Instead of going to such an extent that we provide free and compulsory education for all these deaf and dumb, if we take effective st?ps to see that no such exploitation of this human misery is allowed specially in the Union administered territories or in the Capital of Delhi alone, I think it will go a long way. It is a miserable sight, when we go on the thoroughfares in this Capital, that certain deaf and dumb people or blind people or persons afflicted with leprosy are made to beg. We have recently seen articles in various papers to the effect that there are gangs employed for this purpose and that people make earnings out of it. This is indeed a very sorry state of affairs. As I was just saying, this is a very commendable Resolution and we must all support it at least for the spirit underlying it, because, if we just recommend that free and compulsory education must be provided and Government should take immediate steps for it, I do not think it will be possible for them to undertake such a task in view of the many tasks that are before them. But if modest steps are taken to see that no such exploitation of human misery is allowed, I think it will go a long way to meet the demand that is inherent in the Resolution. As I was just saying in the beginning, I

commend the spirit behind the Resolution, but so far as the actual steps are concerned I am afraid it will not be possible to give them practical shape in the immediate future.

Sir, with these observations I conclude my speech.

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया गया है एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिस की मुखालिफत कोई भी नहीं कर सकता है। यह दूसरी बात है कि इस में जितनी मांगें की गई हैं उन को किन्हीं वजहों से, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से या और दूसरी कठिनाइयों की वजह से फौरन पूरा न किया जा सके लेकिन जहां तक कि इस के मंतव्य का सवाल है उस को अस्वीकार करने का कोई भी कारण नहीं हो सकता है। वैसे तो हमारा भारत इतना बड़ा देश ह कि अगर हम किसी भी चीज के लिये आंकड़े इकट्ठा करने लगें तो लाखों की तादाद आ जाती है। अभी श्री विजय सिंह जी ने कुष्ट रोगियों के बारे में बताया। वे भी विकलांग हैं, उन में किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के पैर का अंगूठा नहीं है, किसी की नाक ही कटी हुई है। तो अगर आप उन का ही शुमार हिन्दुस्तान के अन्दर करने लगें तो उन की तादाद लाखों में आयेगी। यहां दिल्ली शहर को ही ले लीजिये, यहां भी वे ५ या ७ हजार से कम नहीं होंगे।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : ज्यादा होंगे।

श्री नवाबसिंह चौहान : ५ हजार कहता हूं। ७ हजार होंगे। इसी तरह से बहुत से लोगों को गलगंड होता है जिस में कि १०, २० सेर का गोश्त लटका रहता है। उन की तादाद भी लाखों में होगी। इसी तरह से फीलपांव होता है जिस में कि पैर दो दो मन का हो जाता है। अगर उनका भी

[श्री नवार्वसिंह चौहान]

शुमार करने लगें तो लाखों की तादाद आयेगी । इसी तरह से अंधे, लंगड़े, लूले विकलांग, और दूसरी तरह से हैंडीकैप्ड लोग हैं जो कि हर जगह आप को मिलेंगे और इन की एक बहुत बड़ी तादाद है । जहां तक इन को सुख सुविधायें पहुंचाने का, इन को ट्रेनिंग देने का, दीक्षित करने का सवाल है सभी इस को मानेंगे और मानते हैं कि अगर इन को ट्रेनिंग दे कर के स्वावलम्बी नहीं बनाया जाता है तो ये परिवार के ऊपर ही नहीं बल्कि समाज के ऊपर एक भार स्वरूप रहेंगे । इसलिये मैं तो समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी कम से कम इस प्रस्ताव के सिद्धान्तों से पूर्ण रूप से सहमत होंगे और जो इन को शीघ्र से शीघ्र शिक्षित करने, विशेषकर के ऐसे कार्यों की शिक्षा देने की--जिन को कि सीख करके ये स्वालम्बी बन सकें--भी मांग की गई है वह बहुत जरूरी है । इस चीज को शीघ्र से शीघ्र शुरू करना चाहिये और इस में देरी नहीं करनी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक बात मैं जरूर कहूंगा । इस में टैक्नीकल एजूकेशन के लिये कहा गया है और इन के लिये टैक्नीकल एजूकेशन ही बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर इन को केवल अक्षर-ज्ञान कराना है, लिट्रेट ही बनाना है और सिर्फ किताबी शिक्षा देना है तो उस से तो कोई लाभ नहीं होगा और इन की जो मुख्य समस्या है वह हल नहीं होगी । इन विकलांग बच्चों या पुरुषों को तो टैक्नीकल शिक्षा दे कर ही अपनी रोजी कमाने के काबिल बनाना है । साथ ही साथ यह भी है कि यह टैक्नीकल शिक्षा की समस्या उन्हीं के लिये नहीं है बल्कि यह समस्या दूसरे बच्चों के लिये भी है । हमारे बच्चे आज कल जो शिक्षा पाते हैं उस की वजह से उन के सामने भी बेरोजगारी का सवाल रहता है । अगर वे लोग भी टैक्नीकल शिक्षा पा ले और उस के बाद अपने छोट छोट उद्योग खड़े कर के अपनी रोजी कमा सकें तो कितना अच्छा हो । मैं तो यह समझता हूं कि चूंकि इन विकलांग बच्चों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा दी जानी है इसलिये इस प्रकार की कुछ कठिनाई हो सकती है कि ऐसे शिक्षक न मिलें जो कि इन को तालीम दे सकें लेकिन यदि इस की आसानी हो जाती है तो फिर यह सवाल ही नहीं उठता है कि इन की शिक्षा को पीछे रखा जाये और जो दूसरे बच्चों की शिक्षा है वह पहले चले । इसलिये मेरे बोलने का मकसद यही था कि इन चीजों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये । मेरा एक सुझाव है । हमारे यहां सामाजिक शिक्षा में बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत से कार्य-क्रम हैं । गांवों में क्लब्स बनाये जा रहे हैं--वे क्लब्ज ठीक चलते हैं या नहीं यह दूसरी बात है गाने भी होते हैं, ड्रामे भी होते हैं, सब कुछ होता है । बड़े बड़े कैम्प्स होते हैं । यहां भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कभी यूनिवर्सिटी के कैम्प लगते हैं कभी कुछ होता है । यह आवश्यक है । बहुत जरूरी चीज है, ज्यों ज्यों आर्थिक अवस्था अच्छी होगी कोने कोने में ये चीजें नजरों से गुजरेंगी, ये दृश्य दिखाई देंगे । लेकिन सवाल यह है कि जो बहुत जरूरी चीज है, अत्यावश्यक है, वह पहले सोनी चाहिये— थर्स्ट थिंग फर्स्ट । इसलिये मेरा ख्याल है कि यही एक मंत्रालय नहीं बल्कि अन्य मंत्रालत भी पूरी तौर से ऐसी चीजों को इस वक्त के लिये मुल्तवी कर दें और जब तक कि देश आर्थिक रूप से और दूसरे ढंग से समर्थ न हो जाये ताकि जितनी आज कल की खामियां हैं उस वक्त तक उन को पूरा कर लें । इसलिये जितना खर्च ऐसी तरक्की की चिजों पर होता है वह बंद कर के अंधों के ऊपर खर्च हो और उन के ऊपर खर्च हो जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं जिन की ज्ञानेन्द्रियां खराब हो गई हैं या कर्मेन्द्रियां खराब हो गई हैं । तो उन के लिये धन पहले देना चाहिये । मैं समझता हूं कि ये कार्य सिर्फ एक यंत्रालय से ही संबंधित नहीं है क्योंकि ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन

को हम हैंडी कैप्ड कहते हैं। हमारी कमी है, शुरू से ही कमी है। इस में हैल्थ मिनिस्ट्री का प्रसंग आ जाता है। हमारी जो हैल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उस को प्रयत्न करना चाहिये। हम बहुत सुनते हैं संतान नियोजन के बारे में। संतान नियोजन का रोजाना गाना सुनते हैं। लेकिन उस की तरफ कोई समुचित कदम नहीं उठाया गया है। परिवारों में बगैर संतान नियोजन के जो संतानें पैदा होंगी. . .

श्री शीलभद्र याजी : खुदा मियां को अप्रोच करनी चाहिये।

श्री नवाबसिंह चौहान : खुदा मियां सीधे नहीं आते हैं, वे माता पिता के जरिये अपना चमत्कार दिखाते हैं, खाने के अन्दर और जितने भी इवायरनमेंट्स होते हैं उन के जरिये। समाज अगर ठीक तरीके से नहीं चलेगा तो उस का नतीजा यह होगा कि विकलांग बच्चे पैदा होंगे। आप देखियेगा, जिन को हम गूंगा बहरा कहते हैं उन में जो बहरे होते हैं उन की जबान सब की खराब नहीं होती है क्योंकि वे शुरू शुरू में सुनते नहीं हैं और चूंकि सुनते नहीं हैं इसलिये बोल भी नहीं सकते। इसलिये शुरू शुरू में अगर उन के कानों का इलाज हो जाये और सुनने भी लगें तो उन की जबान खुल जाये और गूंगे और बहरे का प्रश्न ही न उठे। इसलिये पहले संतान नियोजन की तरफ देखा जाये। जब तक बुनियाद से कोई चीज नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिये हम थोड़ा बहुत रुपया भी खर्च कर दें तो वह समस्या हल नहीं हो पायेगी। आप ने एक लाख, दो लाख को बचा दिया, उन के लिये इंतजाम कर दिया, फिर एक, दो लाख दूसरे साल तैयार हो जायेंगे। इसलिये जो जो खामियां हैं उन का जड़ से अगर इलाज नहीं किया जायेगा तो यह समस्या नहीं सुलझेगी इसलिये मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और खास तौर से इस प्रस्ताव की भावना का मैं समर्थन करता हूं।

डा० डब्ल्यू० एस० बालिगे : उपसभापति महोदय, इस प्रस्ताव के पीछे जो आशय है उस का मैं पूर्णतया समर्थक हूं। यह प्रस्ताव इतना सरल है कि अगर जैसा यह है वैसे भी पूर्णतया ग्राह्य मान लिया जाये तो उस में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिन का समर्थन करना कोई आवयश्क नहीं होता —व तो स्वयंसिद्ध ही होती हैं। यह प्रस्ताव ही ऐसा है कि इस का समर्थन करना कोई आवश्यक नहीं मालूम होता, यह स्वयंसिद्ध ही है। लेकिन फिर भी एक दो बातें मैं जरूर आप के सामने रखना चाहूंगा। इस प्रस्ताव में दो बातें हैं जिन की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जिस के कारण शायद सरकार की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध हो सकेगा। एक तो शब्द है "इमीडिएट" :

"This House is of opinion that Government should take immediate steps"

अब बात यह है, जैसाकि विजय सिंह साहब ने कहा, और उन्हों ने जो कहा ठीक कहा— और मैं तो यह कहता हूं कि मैं भी उन का आशय ठीक तरीके से समझा—बात यह है कि हम लोगों को स्वराज्य पाने के बाद बहुतेरे काम करने हैं। अब सवाल यह है कि कुछ काम पहले करने हैं, कुछ काम बाद में करने हैं. . .

श्री प्रकाश नारायन सप्रू (उत्तर प्रदेश) : कुछ काम कभी नहीं करने हैं।

डा० डब्ल्यू० एस० बालिगे : यह भी है कि कुछ काम कभी भी नहीं करने हैं लेकिन वे जो कभी भी नहीं करने हैं, उस केटेगरी में यह प्रस्ताव नहीं आता।

[डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे]

तो सवाल यह है कि हम को बहुत से काम करने हैं । तो उन में से पहले कौन से करने पड़ेंगे, बाद में कौन से करने पड़ेंगे, इस का भी विचार बहुत आवश्यक होता है । तो इसलिये सवाल यह पैदा होता है कि अगर मान लीजिये, यह प्रस्ताव हम ने मंजूर कर लिया और सरकार ने भी मंजूर कर लिया तो इस का नतीजा यह होगा कि बाकी और जो काम शिक्षा के सम्बन्ध में हमें करने हैं उन को ताक में रख कर पहले यही काम हम को करना होगा । तो क्या सचमुच में यह बात इतनी आवश्यक है कि बाकी सब काम छोड़ कर हम को इसी के ऊपर कांसन्ट्रेट करना चाहिये ? यह सचमुच में हमारे सामने सवाल है । आप देखेंगे कि दूसरे जो शब्द इस प्रस्ताव में हैं वे इस प्रकार हैं. . .

"... should take immediate steps to provide free and compulsory education in the primary stage to all deaf and dumb children throughout the Union Territories . . ."

तो इस का अर्थ यह होता है कि जितने गूंगे बहरे हैं उन के लिये पहले हम प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर लें, अनिवार्य सा कर लें । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब तक जगत में या इस देश में हंडरेड परसेंट फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन न हो तब तक डेफ एंड डम, यानी गूंगे और बहरे, इन के लिये कुछ न किया जाये । यह मेरा आशय नहीं है, जैसाकि हमारे सिंह साहब ने कहा । लेकिन यह बात तो हम को देखनी ही होगी कि अगर सबों के लिये हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं कर सकते तो क्या जो गूंगे और बहरे हैं उन के लिये हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर सकते हैं ? यह तो सर्वथा ठीक नहीं मालूम होता है । जैसाकि मैं ने कहा, इस प्रस्ताव के आशय से मैं पूर्णतया सहमत हूं । सचमुच में प्रस्ताव यह चाहता था कि :

"Immediate steps to provide free and compulsory education".

इन शब्दों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती । इस सम्बन्ध में जितनी योग्य बातें इस देश को करनी चाहियें उतनी सब चीजें कर ली गई होतीं तो मैं समझता हूं कि इस का कोई भी एक्सेप्शन नहीं ले सकता था, लेकिन चूंकि ये दो शब्द यहां हैं :

Immediate steps to provide 'free and compulsory' education in the primary stage to all deaf and dumb children throughout the Union Territories,

केवल पारिभाषिक बातों को वजह से मैं समझता हूं यह सदन इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकेगा ।

तो मेरा कहना यह है कि इस विषय के बहुतेरे पहलू हैं । जैसाकि मेरी भगिनी ने अभी कुछ देर पहले कहा था—मैं उन से पूर्णतया, सौ फीसदी सहमत हूं—उन्हों ने जो कुछ कहा सचमुच में उस के बाद किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती । लेकिन जैसा मैं ने कहा कि इस के बहुत पहलू भी हैं । एक पहलू यह भी है कि शायद जो गूंगे, बहरे होते हैं, अगर उन को यह इजाजत दे दी जाये कि वे शादी करें और बच्चा पैदा करें तो मालूम नहीं—मैं समझता हूं इसलिये भी एक आधार है—कि उन की जो संतति पैदा होगी शायद वह भी गूंगी और बहरी पैदा हो जाये । यह भी कहा जाता है कि जो लोग ब्लाइन्ड होते हैं, अंधे होते हैं उन के बच्चों के लिये भी यह सम्भावना रहती है कि वे भी पूर्णतया या जन्मजात अंधे होंगे ।

मैं आप के सामने ज्यादा क्या कहूं । मेरी बहिन ने आप के सामने अभी अभी यह बतलाया कि बजट में इस संबंध में जो रुपया प्रोवाइड किया गया है उस का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाता है । अगर यह बात है तो मैं समझता हूं कि एक अनुचित बात है ।

हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन को इस बारे में जरूर ख्याल रखना चाहिये । मैं जानता हूं कि डा० श्रीमाली एक सज्जन पुरुष हैं और जिन के बारे में यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि इन चीजों के ऊपर उन का ध्यान नहीं है । उन के होते हुए भी इस ग्रमाउन्ट का उपयोग नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूं कि इस ओर उन को ध्यान जरूर देना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि और कुछ बात कहना आवश्यक है । यह जो प्रस्ताव है मैं उस का पूर्णतया समर्थक हूं कम से कम इस प्रस्ताव का जो तात्पर्य है, आशय है, उस का मैं समर्थक हूं । मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार को इस प्रस्ताव के ऊपर गौर करना चाहिये । अगर इस प्रस्ताव में से immediate and free compulsory education शब्द निकाल दिये जायें तो इसे सदन को जरूर मंजूर कर लेना चाहिये ।

श्री बयाल दास कुरें (मध्य प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिजोल्यूशन को पढ़ते समय मैं ने दो बातें देखी हैं । जब मैं ने इस में डेफ एंड डम का नाम पढ़ा तो मुझे ब्लाइंड व्यक्तियों की भी याद आ गई । जो लोग अंधे हैं उन्हें भी क्यों न इस प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जा ? यह बात कई बार विचार कर के देखी कि कहां तक यह बात समय के अनुकूल है या स्थिति को देखते हुए कहां तक हमारे प्रतिकूल जा रही है ।

यह जो गूंगापन है, बहरापन है, यह किसी की अपनी बनाई हुई चीज नहीं है । यह तो एक प्राकृतिक चीज है, ईश्वरीय चीज है । जब हम अपनी कला से इस की रूपरेखा बना सकते हैं और अगर उस में मानवीय शक्ति है तो उस का उपयोग क्यों न किया जा ? इस समय देश में जैसाकि माननीय सदस्या ने बताया कि गूंगे और बहरों की संख्या बहुत अधिक है और उन की संख्या बढ़ती ही जा रही है । माननीय डा० बालिगे ने बताया कि गूंगों की संतान गूंगी होती है, बहरों को संतान बहरी होती है और तोतले अटक अटक कर बोलते हैं । मैं ने एक परिवार में देखा है कि जहां पिता तोतला है वहां पर उस का लड़का भी अटक अटक कर बोलता है । उस का जो नाती है वह भी तोतला कर बोलता है । इस प्रकार परिवार में तोतलाकर बोलने का रिवाज बन जाता है । हम देखते हैं कि इस तरह से हम गूंगों की संख्या को बढ़ाने में समर्थ होते जा रहे हैं । इस प्रकार उन के ऊपर जो प्राकृतिक मार है, ईश्वरीय मार आ पड़ी है जब तक उस में रुकावट नहीं आयेगी तब तक इस बीमारी को हम समाज से दूर नहीं कर सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि परिवार में जो अंधे, गूंगे और बहरे हैं वे हमारे सुसंस्कृत समाज में एक बोझ के रूप में हैं । परिवार में जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उस के साथ कोई प्रेम भाव नहीं रखता है । वह अंधा न तो स्वयं कमा कर खा सकता है, न दूसरों को ही खिला सकता है और न किसी प्रकार की नौकरी ही कर सकता है । इसी तरह से जब परिवार में कोई गूंगा होता है तो वह न किसी से बोल सकता है और न उस के समझ में किसी की बात आ सकती है । इसी तरह से बहरा भी न कुछ सुन सकता है और न समझ सकता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार में जब इस तरह का कोई सदस्य हो जाता है जो लोग उस का पालन पोषण करते हैं वे भी उस के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं और यह बात मानवीय और प्रकृति के लिहाज से अच्छी नहीं है ।

अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग मारा गया है तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है—जैसाकि विद्वानों ने कहा है कि वह अंग बड़ा प्रखर होता है । आप अंधे को ही ले लीजिये । एक बार मुझे एक गांव में एक अंधे को देखने का मौका मिला । वह आदमी गांव में अपने घर से हाथ में लाठी लिये हुए नित्य नदी के

[श्री दयाल दास कुरे]

घाट पर स्नान करने के लिये जाता था और ठीक अपने ही दरवाजे में वापस आ जाता था। यदि कोई आदमी बहरा है तो उस के कान में इतनी शक्ति होती है कि यदि आप जरा उस की मदद करें या आगे बढ़ायें तो वह शक्ति काम करने लगेगी। इसी तरह से गूंगे की भी बात है। यदि गूंगे को जरा भी प्रोत्साहन दिया जाये, उस में जो खराबी है उस को निकालने के लिये यदि हमने जरा उत्साह किया तो उस में बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। इसलिये मेरा सदन के सामने यह सुझाव है कि इस कार्य के लिये हमें दक्ष लोगों की आवश्यकता है। जो लोग बहरे हैं, गूंगे हैं या अन्धे हैं उन में जो कमियां हैं उन की बारीकी से जांच करें और समय समय पर जो खराबी इन लोगों में आ जाती है उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इस तरह के स्पेशलिस्ट लोगों की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है जोकि इन लोगों की कमियों को दूर कर सकें। जिस तरह से सरकार की ओर से आंख के स्पेशलिस्ट डाक्टर हैं, बड़े ट्रेन्ड हैं और जो समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं उसी तरह से इन बीमारियों के भी ट्रेन्ड डाक्टर होने चाहियें जोकि गूंगे और बहरों के अंगों की बारीकी से शिक्षा प्राप्त किये हों ताकि वे लोग समय समय पर जो खराबी इस तरह के लोगों के शरीरों में हो जाती हैं उन्हें निकालने का प्रयत्न करें। इस समय शहरों में जो आंख के डाक्टर हैं उन की अच्छी प्रेक्टिस चल रही है और उन के द्वारा बहुत से लोगों का सुधार होता जा रहा है। मानवीय जीवन क्या होता है उस का अब अंधे लोग अनुभव करते जा रहे हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति गूंगा है तो उस में गूंगापन क्यों है? उस के शरीर का कौनसा अंग खराब है जिस की वजह से वह गूंगा हो गया है। इस बात की जानकारी हासिल करने के लिये हमें खास खास स्टेशनों में इंस्टीट्यूशन खोलने की आवश्यकता है ताकि ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इन बातों की बारीकी से खोज करें कि बीमारियां क्यों होती हैं और इन का निराकरण कैसे किया जा सकता है। उसी तरह से ये जो बहरे लोग हैं, इन को दक्ष करने के लिये स्कूल खोलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसा मैं ने बताया, ये परिवार के लिये, समाज के लिये, एक बोझ के रूप में हैं। इसलिये इन को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाये जिस से ये समाज और परिवार के लिये बोझ न बन सकें और इन का आगे का जीवन सुखमय बन जाये। साथ ही साथ इन को ऐसी ट्रेनिंग दी जाये जिस से कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ कमा सकें और अपने आगे के जीवन को संभाल सकें। इस प्रस्ताव में अनिवार्य और फ्री प्राथमिक शिक्षा और वैकेशनल ट्रेनिंग आदि देने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार इतना कर सकती है, तो उसे अवश्य करना चाहिये। मैं उपयोगी शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दूंगा। विद्यार्थी छोटी अवस्था में किसी बात को सीखने के लिये अधिक प्रयास करता है और खास कर जैसा मैं ने शुरू में बताया कि अंगहीन व्यक्ति के जिस अंग में कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिये वह विशेष प्रयत्नशील होता है। यदि कोई गूंगा व्यक्ति हो और प्राइमरी शिक्षा में ऐसी बात उस के सामने रखें कि जो उस के आगे के जीवन में उपयोगी हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक शिक्षा के सिलसिले में यदि शिक्षा मंत्रालय कुछ कर सकता है तो अवश्य किया जाये। जैसाकि नवाब साहब ने बताया, युनिवर्सिटी यूथ फैस्टिवल आदि बातों पर और कुछ लोगों को विदेशों में भेज कर शिक्षा दिलाने पर बहुत पैसा खर्च होता है। साथ ही साथ हम ने यह देखा है कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती हैं। उस में से कुछ रकम काट कर यदि इन लोगों की, जो अपाहिज हैं, जिन का अंग मारा गया है, शिक्षा की कुछ व्यवस्था कर दी जाये तो इस से परिवारों का बोझ हलका हो सकता है और देश में जो यह बेकारी की समस्या इन लोगों के कारण उत्पन्न हुई है कि दूसरे लोग कमाते हैं और इन्हें

खिलाते हैं, यह समस्या भी हल हो जायगी और इनका जीवन जो सदा के लिये दुखमय बना रहता है उस में भी सुधार हो सकता है। इसलिये शिक्षा मंत्रालय से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वह इस विषय पर अवश्य ध्यान दें और इसे अपनी ओर से सदन के सामने रखने का प्रयत्न करें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

NOMINATION TO THE PARLIAMENTARY COMMITTEE ON THE RATE OF DIVIDEND PAYABLE, BY THE RAILWAY UNDERTAK-| ING TO THE GENERAL REVENUES.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before I eall on the next speaker, I have to make an announcement. The Chairman has nominated the following six members to the Committee to review the rate of dividend which is at present payable by the Railway undertaking to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance:

1. Diwan Chaman Lall
2. Shri N. M. Lingam
3. Shri M. P. Bhargava
4. Shri B. Parameswaran
5. Shri Rohit M. Dave
6. Prof. A. R. Wadia.

RESOLUTION *RE* FREE COMPULSORY PRIMARY EDUCATION TO DEAF AND DUMB CHILDREN IN UNION TERRITORIES AND CENTRES FOR TRAINING AND REHABILITATION OF ADULT DEAF AND DUMB PERSONS—continued.

SHRI N. M. ANWAR (Madras): Mr. Deputy Chairman, the hon. lady mover of this Resolution deserves a warm encomium for the examplary way in which, for the missionary seal with which, she came to defend the case of the deaf and the dumb. Believe me, Mr. Deputy Chairman, I do not think there can be two opinions on this issue. I am sure that the appeal which she has made in the cause *at* the deaf and the dumb will not tell OM deaf ears.

Mr. Deputy Chairman, this has now given me an opportunity to bring to the attention of this House that the problem of the handicapped, particularly of the deaf and the dumb, is not so easy as it is imagined here. I have myself specialised in this study as part of Educational Psychology. I have visited many centres overseas and I have seen how this problem of the deaf and the dumb has been tackled in the universities of Cambridge and Oxford.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR BASU) in the Chair].

It is true that as part of compulsory universal education the deaf and the dumb also come in, particularly in the age-group which has been envisaged for compulsory education. But then, Mf. Vice-Chairman, there are many more urgent problems that we have got to tackle.

I believe the hon. lady mover of this resolution will herself concede that in matters educational there is a provision in the Constitution, amongst the directive principles, according to which we have got to provide within a certain period—I am afraid that period *it* already drawing towards its close—for free and compulsory education at the elementary stage. That has not yet been fulfilled. It still remains one of the ideals of the Constitution.

The framers of the Constitution have rightly indicated that the Government, both here and in the States, should have to give the topmost priority to see that education becomes free and compulsory as soon *aa* possible. That ideal still remains to be realised, and I am afraid it looks like a mirage that is receding further and further as we are approaching nearer and nearer. I think it is entirely a problem of finance and, I am afraid, like many other schemes which founder on the rock of finance this problem of providing free and compulsory education may, unless it be that it is allowed to take several years to realise that ideal, as well meet the sane fate.